

महत्वपूर्ण

संख्या—993 / 60—3—2017—13(2) / 15टीसी

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

जिला परिवीक्षा अधिकारी,
आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज,
लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, पीलीभीत, शाहजहांपुर,
मिर्जापुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बांदा।

महोदय,

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें
महानगर, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010(VI),
दिनांक 29.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ‘आपकी
सखी-आशा ज्योति केन्द्रों’ में स्थापित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पर
सीसीटीएनएस द्वारा ऑन-लाइन एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के लिये
वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया
है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुलग्न पत्र में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आपकी सखी—आशा ज्योति केन्द्रों में स्थापित पुलिस चौकियों पर ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायें। इस हेतु केन्द्र में स्थापित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर उपकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

साथ ही, इन केन्द्रों में ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जनपद में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर को केन्द्र से सम्बद्ध किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में आने वाली किसी भी व्यवहारिक तकनीकी कठिनाई हेतु जनपद के सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी अथवा तकनीकी सहायता हेतु मुख्यालय उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें में कार्यरत श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर गेड-२, मो० न०-७८३९८५८२३० से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक—यथोक्ता।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या—९९३ (१) / ६०—३—२०१७, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें, लखनऊ।
- 2— निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद—आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बांदा को आवश्यक समन्वय हेतु प्रेषित।
- 4— संबंधित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
- 5— गांड फाइल।

आज्ञा से,


(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

b
13/6/17